सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

Presented by-

R.P.Singh

Instructor/C&W

MSTC/GKP

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

सूचना का अधिकार क्या है–

सूचना के अधिकार का सामान्य अर्थ यह है कि राष्ट के प्रत्यक नागरिक तक सरकारी कार्यों, निर्णयों तथा उसके निस्पादन से सम्बन्धित फाइलों एवं दस्तावेजों तक औचित्यपूर्ण पहुंच होनी चाहिए अर्थात सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता होनी चाहिए।

सूचना का अधिकार आवश्यक क्यों है–

- यह प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।
- यह प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढता है।
- यह लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है।

- यह लोक सेवको द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के अवसरों को कम करता है।
- यह प्रशासन को जनता के आवश्यकताओंके प्रति अधिक सम्बेदनशील बनाता है।
- प्रशासनिक निर्णयों में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंघन की सरकार के द्वारा 12 मई 2005 को यह विघेयक पारित किया गया और 15 जून 2005 का राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात इस विघेयक ने अधिनियम का रुप ले लिया ।

- और 12 अक्टूवर 2005 को यह जम्मूकश्मीर रालय को छोडकर सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ ।
- नोटः– अब जम्मूकश्मीर मे भी लागू है।

उद्धेश्यः–

इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को लागू करने का प्रयास किया गया है जिसे सुशासन के लक्ष्यो को पाया जा सके और संविधान के अनु0(1) के तहत स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सूचनात्मक पहुंच से जोड़ा जा सके ।

घारा–3 सूचना प्राप्त करने का अधिकार–

भारत के किसी भी नागरिक को इस अधिनियम के तहत किसी विधिपूर्ण सूचना को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

घारा–6 सूचना प्राप्त करने के आवेदन की प्रक्रिया–

इसके अन्तर्गत सूचना मांगने के लिए लिखित आवेदन किया जाता है जिसका निर्घारित शुल्क 10 रुपये है।

नोटः– सूचना इलेक्ट्रानिक माघ्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

धारा–7 RTI आवेदन का निस्तारण–

सूचना के अधिकार के तहत किये गये आवेदन का उत्तर 30दिन के अन्दर दिया जायेगा किन्तु यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है तो 48 धण्टे के भीतर उपलब्ध करयी जायेगी।

धारा–8 कुछ मामलो में सूचना देने में छूट प्रदान की गयी है–

घारा–12 केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन–

इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन– किया जायेगा तथा इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एंव 10 अन्य आयुक्त होगं। मुख्य सूचना आयुक्त एंव 10 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

घारा–13 कार्यकाल–

मुख्य सूचना आयुक्त एंव 10 अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा ।

धारा–14 मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकता है, किन्तु एसे कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जायगी।

धारा–15 राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जायेगा–

राज्य सरकार एक सूचना आयुक्त एवं 10 उपायुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी और राज्यपाल द्वारा ही हटाया जायेगा ।

धारा–18 सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख ।

धारा–19 सूचना न प्राप्त होने पर अपील करने की व्यवस्था–

इसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहता है, और वह विभाग विधिपूर्ण सूचना नहीं देता है तो वह व्यक्ति उस विभाग के खिलाफ सूचना आयोग से अपील कर सकता है ।

धारा–20 सूचना न देने पर लोक सेवक द्वारा–

इसके अन्तर्गत यदि कोई विभागाध्यक्ष या उसका कोई जिम्मेदार अधिकारी जो सूचना देने के लिए नियुक्त है वह 30 दिन के भीतर नही देता है या

असफल रहता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना जो अधिकतम 25000 रुपये तक हो सकेगा देना होगा, तत्पश्चात विभागीय कार्यवाही होगी ।

घारा–23 न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबन्धित किया गया है–

इसके अन्तर्गत किसी लोक सेवक पर जुर्माना या विभागीय कार्यवाही होने पर वह न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। अर्थात न्यायालय की अधिकारिकता को इस सदंर्भ में प्रतिबन्धित किया गया है।

धारा–24 **सूचना दने की छूट–**

जो विभाग गोपनीय और भारतीय सुरक्षा में लगे हैं तथा जो सूचनायें विधिपूर्ण नहीं हैं अर्थात जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती है एसे विभागों को सूचना देने की छूट है।

नोटः– विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार स्वीडेन में 1766

Any Question?

THANK YOU